अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, नई दिल्ली

निदेशक कार्यालय

फा.सं.40-30/2022-स्था.।(नि.का) दिनांक: 05 सितंबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सं.रो.कैं.अ. में ट्राएज एवं डे-केयर उपचार से संबद्ध कार्यों को कम करने तथा उन्हें स्थानांतरित करने संबंधी।

यह देखा गया है कि डॉ. भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ. रोगियों का ट्राएज उपचार बिल्डिंग के बाहर कर रहा है। डे-केयर उपचार को भी शिफ्ट के आधार पर संचालित किया जा रहा है जबकि एन.सी.आई., झज्जर में स्थानांतरित करने के लिए लगभग 150 रोगियों का ट्राएज किया जा रहा है जबकि अन्य 150 रोगियों को शिफ्ट प्रणाली का इस्तेमाल करके सं.रो.कैं.अ. में कीमोथेरेपी दी जा रही है। कई रोगियों को प्रतीक्षा सूची में भी रखा गया है। इससे न केवल डा.भी.रा.अ.सं.रो.कै.अ. के बाहर यातायात जाम हो जाता है बल्कि रोगियों को भी अत्यधिक असुविधा होती है। इस संबंध में, विभिन्न दौरे एवं बैठकें आयोजित की गई हैं तथा यह निर्णय लिया गया है कि बाल नवजात सेवाओं को एम.सी.एच. ब्लॉक में शिफ्ट किए जाने के कारण निम्नलिखित कार्य नए प्राइवेट वार्ड में स्थानांतरित किए जाएंगे:

1. चिकित्सा अर्बुद विज्ञान, एन.सी.आई. एवं सं.रो.कैं.अ. के अन्य ट्राएज संबंधी कार्यों हेतु रोगी ट्राएज, सं.रो.कैं.अ. रक्त नमूना काउंटर के निकट नए निजी वार्ड के प्रवेश द्वार पर चारदीवारी के भीतर किए जाएंगे।
2. एन.सी.आई., झज्जर में स्थानांतरित किए जाने वाले रोगियों को बस सुविधा हेतु सी-।/सी-।। रोड़ के पास से बस में चढ़ना होगा।
3. लंबे समय तक कीमोथेरेपी की आवश्यकता वाले रोगियों को सं.रो.कैं.अ. चिकित्सा अर्बुद विज्ञान डे-केयर में भेजा जाएगा। वर्तमान में सं.रो.कैं.अ. द्वारा रिक्लाइनर बेड का इस्तेमाल करते हुए दीर्घकालिक कीमोथेरेपी की केवल एक शिफ्ट संचालित की जा रही है तथा जिसे चिकित्सा अर्बुद विज्ञान द्वारा जारी रखा जाएगा।
4. 30 नई कीमोथेरेपी रिक्लाइनर कुर्सियों को प्रथम तल के पूरे सी लूप को कवर करते हुए बाल नवजात चिकित्सा विभाग तथा केएमसी द्वारा खाली किए गए स्थान पर तथा निजी वार्ड के कमरों के निकट स्थान पर लगाया जाएगा।

परिचालन आरंभ होने के बाद सभी शिफ्ट आधारित अल्पकालिक कीमोथेरेपी इस क्षेत्र में की जाएंगी। अस्पताल के अन्य बिस्तरों का इस्तेमाल करके अस्थायी व्यवस्था की जाएगी ताकि आंशिक स्थानांतरण शीघ्र किया जा सके।

यह अनुमान लगाया गया है कि नए निजी वार्ड क्षेत्र में ट्राएज कार्य अधिक सुगमता से किया जा सकता है जिसके बाद अधिकांश रोगियों, जिन्हें शिफ्ट आधारित कीमोथेरेपी करवाने की आवश्यकता होती है, का उपचार उसी स्थान पर किया जा सकता है। इसके बाद केवल थोड़ी संख्या में रोगियों को डॉ.भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ. में भेजने की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिए शटल सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

इस क्षेत्र में बढ़ते यातायात को नियंत्रित करने के लिए, एक-दूसरे के पीछे सटे हुए सी-।। फ्लैट संख या 3,4,5 तथा 6 के गेराज/सर्वेंट क्वार्टर परिसर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सर्कुलर ट्रैफिक प्रवाह तथा बूम बैरियर की शिफ्टिंग करते हुए नए निजी वार्ड के सामने की सड़क को सी-। तथा सी-।। फ्लैट्स के बीच की सड़क से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई जाएगी।

अधीक्षण अभियंता, एम्स को निदेश दिए जाते हैं कि वे प्रो. महेश आर., अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ.भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ. तथा प्रो. समीर बख्शी, विभागाध्यक्ष, चिकित्सा अर्बुद विज्ञान के साथ एक दौरा करें ताकि आवश्यक कमरों का सीमांकन किया जा सके तथा तत्काल आधार पर आवश यकतानुसार उपयुक्त न्यूनतम नवीनीकरण कार्य आरंभ करें। प्रमुख, डॉ.भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ. से अनुरोध किया जाता है कि वे अतिशीघ्र आवश्यक व्यवस्था करें जिसमें डे-केयर रोगियों को बस द्वारा एन.सी.आई., झज्जर ले जाना शामिल है।

ये व्यवस्थाएं मूलत: अस्थाई होंगी तथा केवल 3 माह की अवधि के लिए होंगी। यह आशा की जाती है कि इसके साथ ही, डॉ.भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ. अपनी अधिकांश सेवाओं को एन.सी.आई., झज्जर में स्थानांतरित करने की योजना तैयार करेगा ताकि एम्स, नई दिल्ली की कैंसर उपचार सेवाओं के एक व्यापक स्पैक्ट्रम को एक ही स्थान पर समेकित किया जा सके।

प्रो. एम.श्रीनिवास
निदेशक

वितरण:

1. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर निदेशक (प्रशासन)
3. प्रमुख, सं.रो.कैं.अ.- शीघ्र कार्रवाई हेतु
4. सभी केंद्रों के प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई, झज्जर
5. विभागाध्यक्ष, चिकित्सा अर्बुद विज्ञान- आवश्यक दौरे हेतु
6. सभी विभागाध्यक्षगण
7. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
8. प्रो. महेश आर., अपर चिकित्सा अधीक्षक, आईआरसीएच
9. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
10. उप-सचिव
11. अधीक्षण अभियंता (एम्स)- तत्काल एवं शीघ्र सुविधा प्रदान करने हेतु।
12. प्रशासनिक अधिकारी (संपदा)- गेराज एवं सर्वेंट क्वार्टर में रखे सामान को स्थानांतरित करके उन्हें खाली कराने हेतु।